<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०</u>
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 11.03.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 67/2026
सीआईएस नं. 1247/2016
CNR No. RJBR020013142016
एफआईआर सं. 204/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
PART– I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. भैरूलाल पुत्र रंगलाल निवासी बडा थाना बारां सदर जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश दूबे

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		09.06.2016
एफआईआर की दिनांक		09.06.2016
आरोप पत्र की दिनांक		11.08.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		06.09.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		17.01.2019
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		11-03-2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		11-03-2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	11.03.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त / अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त / अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	भैरूलाल	09.06.2016	16.06.2016	8 / 20 एनडीपीएस एक्ट	दोषसिद्धि	पैरा नंबर 29 पर अंकितानुसार	09.06.2016 से 16.06.2016 तक

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी / बचाव साक्षी / न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	मेघराज	ताईद फर्द जप्ती
PW2	रामप्रसाद	ताईद मालखाना
PW3	आशा कुंवर सिंह	ताईद फर्द चैकिंग व जप्ती
PW4	यशवीर सिंह	ताईद फर्द चैकिंग व जप्ती
PW5	परमजीत सिंह	ताईद माल एफएसएल जमा कराना
PW6	विनोद कुमार	ताईद फर्द जप्ती
PW7	बाबूलाल	हालात तफ्तीश
PW8	सियाराम	ताईद सूचना 57 एनडीपीएस एक्ट

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श / बचाव प्रदर्श / न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 17.01.19 PW1, PW6	स्वतंत्र गवाह बनने बाबत् सहमति पत्र
2	Ex P2 17.01.19 PW1, PW6	फर्द सहमति भैरूलाल
3	Ex P3 17.01.19 PW1, PW6	फर्द जप्ती मादक पदार्थ गांजा
4	Ex P4 17.01.19 PW1, PW6	फर्द नमूना सील
5	Ex P5 17.01.19 PW1, PW6	फर्द नष्टीकरण सील
6	Ex P6 17.01.19 PW1, PW6	फर्द पुनः नमूना सील
7	Ex P7 17.01.19 PW1, PW6	फर्द गिरफ्तारी
8	Ex P8 17.01.19 PW1, PW6, PW7	नक्शा मौका
9	Ex P9, Ex P9a 03.01.24 PW2	मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति
10	Ex P10 06.12.24 PW5	सैंपल जमा की रसीद
11	Ex P11 03.04.25 PW6	फर्द स्वतंत्र गवाह तलबी पत्र
12	Ex P12, Ex P13 31.05.25 PW7	नकल रपट रोजनामचा की प्रमाणित प्रति
13	Ex P14 31.05.25 PW7	एफएसएल नतीजा रिपोर्ट
14	Ex P15 05.12.16 PW8	प्राप्ति रसीद

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.06.2016 को मन श्रीराम बढेसरा एसएचओ मय हमराही जाप्ता सुश्री आशा एसआई(पी), श्री विनोद कुमार एफसी, श्री मेघराज एफसी, श्री यशवीर सिंह एफएसी मय जीप सरकारी मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते गश्त एवं चैकिंग गुण्डा बदमाशान, अवैध कार्य शराब, जुआ, सट्टा, हथियार हेतु थाने से समय 3.15 पीएम पर बडा, कोयला, मियाडा रवाना हुआ था थाने से रवाना हो चैकिंग करते हुए मिडाया से कुण्ड चौराहे पर आ रहा था। मियाडा रोड नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति अपने हाथ में पीले रंग का केरी बैग लिए कुण्ड की तरफ से आ रहा था जो पुलिस जीप व जाप्ता को देकर नहर पुलिया की माड में छुपने लगा जिस पर संदेह होने पर मन् एसएचओ मय जाप्ता ने घेरा देकर डिटेन किया जो काफी घ ाबरा हुआ था जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भैरूलाल होना बताया जिसे इस तरह छुपने व उसके हाथ में लिए कैरी बैग के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उक्त भैरूलाल का आचरण संदिग्ध होने से चैकिंग किया जाना उचित प्रतीत होने से चैकिंग कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु समय 5 पीएम पर विनोद कुमार को हुक्मनामा देकर रवाना किया गया जिसने वापस आकर कोई गवाह नहीं मिलना बताया। इस पर हमराही जाप्ता में से ही उक्त विनोद कुमार व मेघराज को गवाह मामूर कर स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई। संदिग्ध भैरूलाल ने भी अपनी चैकिंग की सहमति दी। तत्पश्चात् मन् श्रीराम बढेसरा एसएचओ ने नियमानुसार गवाहान के समक्ष संदिग्ध भैरूलाल को चैक किया तो उसके हाथ में लिए पीने रंग के कैरी बैग में अंदर एक पोलीथीन में हरे रंग का पदार्थ रखा हुआ था, पोलीथीन की थैली को खोलकर देखा गया तो थैली में हरे रंग का गांजा की कलियां मिली जिसे सूंघा, परखा व गवाहान के सूंघाया, परखाया तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया। भैरूलाल ने भी गांजा होना स्वीकार किया।

भैरूलाल से गांजा अपने कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। बरामद गांजा का अनुसंधान बॉक्स के तराजू बाट से वजन किया तो शुद्ध गांजा का वजन 300 ग्राम हुआ। बतौर वजह सबूत नमूना सैंपल हेतु 50 ग्राम गांजा एक सफेद पॉलीथीन में रखकर सफेद कपडे में शील्ड मोहर किया जाकर चीट चस्पा कर मार्क ए दिया गया। शेष गांजा 250 ग्राम को उसी पोलीथीन में रख सफेद कपडे में सील्ड मोहर कर चीट चस्पा कर मार्क बी दिया गया। भैरूलाल की पहनी हुई पेंट शर्ट को चैक किया तो कोई वस्तु नहीं मिली। भैरूलाल का उक्त कृत्य अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होने से भैरूलाल को बाद आगाह जुर्म जुदागाना फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गयसा। फर्द नमूना सील मूर्तिब की जाकर पैकेटों को सील्ड मोहर में काम में ली गई नमूना शील को नष्ट किया गया।.....इत्यादि।

3. उक्त फर्द जप्ती के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 204/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में फर्द जप्ती साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, मुल्जिम को प्रकरण में झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2016 को समय 06.10 पीएम पर मियाडा रोड नहर पुलिया के पास दौराने चैकिंग

पुलिस को आपके आधिपत्य से पीले रंग के कैरीबैग में अंदर एक पॉलीथीन में हरे रंग का पदार्थ रखा मिला। थैली को खोलकर देखा तो उसमें हरे रंग की गांजा की कलियां मिली। जिन्हें सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया जिसका शुद्ध वजन 300 ग्राम था। उक्त मादक पदार्थ गांजा को अपने आधिपत्य में रखने तथा परिवहन करने बाबत् आपके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 मेघराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.06.16 को थाना बारां सदर में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एसएचओ श्री राम बडेसरा के साथ वह, आशा एसआईपी व विनोद कुमार, यशवीर सिंह मय सरकारी जीप मय अनुसंधान बाक्स के वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य जुआ सट्टा एवं बदमाशान हेतु थाने से 3:15 पीएम पर रवाना होकर कोयला, मियाडा गश्त करते हुए कुंड चौराहे की तरफ आ रहे थे तो नहर की पुलिया के पास एक व्यक्ति कैरी बैग लेकर खडा था जो पुलिस को बावर्दी देखकर पुलिया की आड में छिपने लगा। जिसे शक होने से जाब्ते की मदद से घेरा देकर डिटेन किया तो वह काफी घबराया हुआ था। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भैरूलाल किराड बताया तथा उसके हाथ में एक कैरीबैग था जिसके बारे में व छिपने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इसलिए उसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह तलब करने हेतु विनोद कुमार को लिखित में हुक्मनामा देकर भेजा। जिसने आकर एसएचओ साहब को बताया कि कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ इस पर एसएचओ साहब ने उसे व विनोद को स्वतंत्र गवाह मामूर करने बाबत् लिखित में सहमति प्राप्त की तथा उन्हें गवाह मामूर कर एसएचओ साहब ने स्वयं की तलाशी उनसे लिवाई व उनकी तलाशी स्वयं ने ली। उसके पश्चात् भैरूलाल को चैक किया तो उसके हाथ में 1 पीले रंग का कैरीबैग मिला जिसके अंदर एक पालीथीन में हरे रंग का पदार्थ रखा हुआ था। खोलकर चैक किया तो थैली में हरे रंग की कलियां मिली जिन्हें सूंघा, परखा व भैरूलाल से पूछा तो उसने भी गांजा होना बताया। उक्त गांजा रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही तौल किया तो शुद्ध गांजे का वजन 300 ग्राम हुआ जिसमें से मौके पर 50 ग्राम गांजा एक पालीथीन की थैली में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का ए दिया तथा शेष बचे हुए 250 ग्राम गांजे को उसी थैली में रखकर पीले रंग के कैरीबैग में रखकर सील मोहर कर मार्का बी दिया। मौके पर ही मुलजिम को गिरफ्तार

किया। स्वतंत्र गवाह बनने बाबत् सहमति पत्र प्रदर्श पी1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी सहमति अंकित है। फर्द सहमति भैरूलाल प्रदर्श पी2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी3, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी4, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी5, पुनः नमूना सील प्रदर्श पी6, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी7 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 3 तलाशी लेने के बाद नहीं बनाई। जैसे–जैसे कार्रवाई होती गई वैसे वैसे लिखते गए। प्रदर्श पी 3 के सी से डी भाग में शुरू में ही 300 ग्राम गांजा कैसे लिखा हुआ है यह श्री राम बडेसरा हीबता सकते है। मौके पर ही सील को पत्थर से तोडा गया और नहर में फेंक दिया। मौके पर सबसे पहले प्रदर्श पी 3 विनोद एलसी 226 ने एसएचओ के निर्देशानुसार बनाई थी। उसके 4–5 फर्दे और बनी थी वो विनोद ने बनाई थी। यह सही है कि रिकार्ड के मुताबिक विनोद स्वतंत्र गवाह है। वे 3:15 बजे थाने से निकले थे और 7:30 बजे के लगभग सारी कार्रवाई कर ली थी। यह सही है न्यायालय में आज जब्तशुदा माल नहीं है। धारा 50 का नोटिस नहीं दिया। अज खुद गवाह ने कहा मौखिक रूप से पूछा था कि तुम्हारा अधिकार है तुम तलाशी मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हो। यह बात सही है प्रदर्श पी 3 में यह बात लिखी हुई नहीं है। उसे पता नहीं थाने पर आकर कितनी फर्दें बनाई हो। अज खुद कहा संपूर्ण फर्दें मौके पर ही बनाई थी। स्वतंत्र गवाह बाबत् जानकारी श्रीराम बडेसरा ही दे सकते है। यह सही है कि वह एनडीपीएस के कई मुकदमों में स्वतंत्र गवाह है। अज खुद गवाह ने कहा कि बनना भी पडता है। यह सही है वह श्रीराम बडेसरा का अधीनस्थ कर्मचारी था। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई हो और वह पुलिस कर्मचारी होने के कारण झूठे बयान दे रहा है।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 रामप्रसाद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.06.2016 को थाना बारां सदर में एचसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना बारां सदर में मालखाना इंजार्च के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मु० नंबर 204/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुल्जिम भैरूलाल से बरामदसुदा शील्डसुदा दो पैकेट मार्क ए व बी थानाधिकारी श्रीराम बडेसरा द्वारा जमा मालखाना करने हेतु पेश करने पर मालखाना रजि० क्रमांक 569/209 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। शील्डसुदा पैकेट मार्क ए को रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल जयपुर जमा कराने हेतु परमजीत

कानि० को दिनांक 16.06.2016 को मय अग्रेषण पत्र के देकर रवाना किया था। परमजीत कानि० द्वारा बाद जमा माल एफएसएल जयपुर से रसीद कमांक 7056 दिनांक 17.06.2016 की लाकर पेश की थी जिसे इन्द्राज कर आईओ को संभलायी थी। मालखाना रजि० प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी के मध्य तीन जगह उसके हस्ता० है व एक्स स्थान पर नमूनासील अंकित है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 09ए है जिस पर ए से बी के मध्य तीन जगह उसके हस्ता० है व एक्स स्थान पर नमूनासील अंकित है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जिस सील से माल को सील किया गया था उसकी नमूनासील एक्स स्थान पर है। दोनों पैकेट सीलशुदा थी जो सामग्री पैकेट के अंदर थी उनका विवरण पैकेट के बाहर लगी हुई चिट पर अंकित था। इस कारण से वह बता सकता है उसमें क्या माल था। सील्डशुदा माल आज न्यायालय में मौजूद नहीं है।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 आशा कुंवर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.06.2016 को वह थाना बारां सदर में उपनिरीक्षक प्रोबेशनर के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन एसएचओ श्रीराम बड़ेसरा के साथ वह विनोद कुमारए मेघ ाराज, यशवीर मय अनुसंधान सामग्री के वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य जुआ, सट्टा हेतु थाने से समय 3.15 पीएम पर रवाना होकर बड़ा, कोयला, मियाड़ा करते हुये कुण्ड चौराहे की तरफ जा रहे थे। तो नहर की पुलिया के पास एक व्यक्ति बैग लेकर पुलिया के पीछे छुपा हुआ था। जो पुलिस को देखकर पुलिया की आड़ में छिपने लगा। जिसे संदेह होने से डिटेन किया। वहां जाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भैरूलाल पुत्र रंगलाल होना बताया। छिपने का कारण व बैग के बारे में पूछा तो संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। जिस पर उसकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से विनोद कुमार को लिखित में हुकुमनामा देकर स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु भेजा। जिसने कुछ समय पश्चात् आकर बताया कि कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। जिस पर जाप्ते में से मेघराज, विनोद से गवाह बनने की सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर किया। एसएचओ साहब ने गवाहान की तलाशी दिलवायी और स्वयं ने गवाहान की तलाशी ली। तथा भैरूलाल से भी तलाशी बाबत् सहमति प्राप्त की जिस पर उसने सहमति दी। उसके कब्जे में मिले पीले रंग के कैरी बैग को चैक किया तो उसके अन्दर एक थैली में हरे रंग का पदार्थ था जिसे खोलकर देखा तो उसमें कलियां थी। जिसे सूघा व परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया व भैरूलाल ने भी गांजा होना बताया। गांजा रखने बाबत् अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही तोल किया तो गांजा का शुद्ध वजन 300 ग्राम जिसमें से मौके

पर ही 50 ग्राम गांजा निकालकर एक सफेद थैली में रखकर फिर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का ए दिया। शेष बचे गांजे को उसी थैली में रखकर उसी पीले रंग के कैरी बैग में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी दिया। मौके पर ही मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुल्जिम थाने आ गयी।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 03 जैसे–जैसे कार्यवाही होती जा रही थी वो ही कार्यवाली लिखते जा रहे थे पूरी तलाशी होने के बाद नहीं रकवाई। प्रदर्श पी 03 के सी से डी भाग में शुरू में ही 300 ग्राम गांजा कैसे लिखा हुआ है यह श्रीराम बडेसरा ही बता सकते हैं। यह सही है कि स्वतंत्र गवाह बुलाने का प्रयास किया था। गवाह उपलब्ध क्यूं नहीं हुए यह श्रीराम बडेसरा ही बता सकते हैं। तलाशी से पूर्व सीआई साहब ने मुल्जिम से पूछा था कि आप तलाशी किसी मजिस्ट्रेट साहब केक सामने दिलवा सकते हैं। यह सही है कि वह भी पुलिस अधिकारी है। मुल्जिम की व्यक्तिगत तलाशी का निश्चिय समय नहीं बता सकती परंतु 5–6 बजे के बीच तलाशी चली थी। तलाशी के समय कोई भी व्यक्ति वहां आ जा नहीं रहा था। सील्ड को पत्थर से तोडा गया था व नहर में फैंक दिया था। यह कहना गलत है कि उसके समाने कोई तलाशी कार्यवाही मुल्जिम की नहीं हो और वह पुलिस अधिकारी होने के कारण झूठ बोल रही हो।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 यशवीर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.06.2016 को थाना बारा सदर में कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन वहए एसएचओ श्रीराम बढेसरा व जाप्ता सुश्री आशारानी, विनोद एफसी, मेघ राज एफसी मय सरकारी जीप व अनुसधान बाक्स के वास्ते गश्त चैकिंग अवैध सट्टा बदमाशान हेतु समय 03.00 पीएम पर थाने से रवाना हुए। ईलाका गश्त करते हुए कोयलाबडा, मियाडा करते हुए मियाड़ा से कुंड चौराहे पर आ रहे थे। मियाडारोड़ नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति अपने हाथ में पीले रंग का कैरी बैग लिए कुंड की तरफ से आ रहा था। जो पुलिस जाप्ते को बाबर्दी देखकर नहर पुलिया की आड में छिप गया। जिस पर संदेह होने पर श्रीमान् एसएचओ साहब मय जाप्ते ने घेरा देकर डिटेन किया। जो काफी बिराया हुआ था। जिससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भैरूलाल पुत्र रंगलाल किराड़ होना बताया। जिसे इस तरह छुपने व हाथ में लिए कैरी बैग के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। संदिग्ध होने पर उसे चैक किया जाना उचित समझा। चैकिंग कार्यवाही हेतु श्रीमान् एसएचओ साहब ने स्वतंत्र गवाह की तलाशी हेतु समय 05.00 पीएम पर

विनोद एफसी को हुकमनामा देकर रवाना किया। जिसने 20 मिनट बाद वापस आकर बताया कि कोई भी गवाह कानूनी पेचीदगी के कारण बनने को तैयार नहीं हुए। जिस पर जाप्ते में विनोद एफसी व मेघराज एफसी को स्वतंग गवाह मामूर करने की सहमति चाही। जो दी गयी। उसके पश्चात् श्रीमान् एसएचओ साहब ने संदिग्ध भैरूलाल की तलाशी ली। भैरूलाल के हाथ में पीले रंग के बैग के अंदर एक थैली में हरे रंग का पदार्थ रखा हुआ था। जिसे खोलकर देखा तो हरे रंग की गांजे की कलियां मिली। जिसे सुंघा व परखा तो गवाह ने भी गांजा होना बताया। भैरूलाल से अवैध पदार्थ रखने हेतु अनुज्ञा.पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। बरामद गांजे को अनुसंधान बॉक्स की तराजू से तोला तो गांजे का शुद्ध वजन 300 ग्राम पाया गया। वजह सबूत सेम्पल 50 ग्राम गाजा एक सफेद थैली में रखकर सील्डमोहर कर मार्का ए दिया। शेष 250 ग्राम गांजे को उसी थैली में रखकर सील्डमोहर कर मार्का बी दिया। मुल व जप्तशुदा माल के थाने वापस आये। थाने आकर माल को मालखाने की सील से सील्डमोहर किया।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह मौके पर ही था। प्रदर्श पी 03 मौके पर ही बनाई थी। जैसे–जैसे तलाशी की प्रक्रिया चल रही थी वैसे–वैसे प्रदर्श पी 03 बनाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में सी से डी के मध्य जप्ती अवैध मादक पदार्थ गांजा लिखा हुआ है। जिस सील से माल को सील किया था उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया था। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल आम रोड लोगों का आवागमन रहता है। स्वतंत्र गवाह के लिए विनोद कानि. को भेजा था लेकिन कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे लोग थाने से 03.00 पीएम पर निकले थे। थाने से निकलने से लेकर उनकी सारी कार्यवाही में लगभग तीन घंटे का समय लगा था। प्रदर्श पी 03 एसएचओ साहब की हस्तलिखित है। यह कहना सही है कि आज न्यायालय में जप्तशुदा माल नहीं है। एसएचओ साहब ने मुल्जिम को धारा 50 का नोटिस दिया था या नहीं अधिक समय हो जाने के कारण उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में सभी गवाह पुलिस कर्मचारी है। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई हो और पुलिस कर्मचारी होने के कारण आज वह झूठे बयान दे रहा है।

17. गवाह पी0डब्ल्यू–05 परमजीत सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 16.06.2016 को थाना बारां सदर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 204/16 धारा 8/20 एनडीपीस एक्ट में एक शीलशुदा पैकेट मालखाना इंचार्ज ने उसे एफएसएल जयपुर में मय कागजात दिया। जिसे प्राप्त कर

में एसपी कार्यालय पहुंचा। जहां से अग्रेषण पत्र प्राप्त कर एफएसएल जयपुर के लिए रवाना हुआ व दिनांक 17.06.2016 को एफएसएल जयपुर पहुंचकर सैंपल जमा कराकर जमा की रसीद संख्या 70 / 56 दिनांक 17.06.2016 की प्राप्त की लाकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया। सैंपल जमा की रसीद प्रदर्शपी 10 है।

18. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह माल लेकर दूसरे दिन 17.06.2016 को पहुंचा। जप्तशुदा माल आज न्यायालय में नहीं है। पैकेट सील्डशुदा था साल लगी हुई थी किंतु किसकी सील लगी थी यह नहीं बता सकता। पैकेट सील्डशुदा होने से यह नहीं बता सकता कि पैकेट के अंदर क्या था।

19. गवाह पी0डब्ल्यू–06 विनोद कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2016 को वह थाना बारां सदर पर कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्रीराम बढेसरा सी आई साहब के साथ वह, आशा उपनिरीक्षक, यशवीर सिंह कांस्टेबल, मेघराज कांस्टेबल मय जीप सरकारी मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से समय 3. 15 पी एम पर वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य जुआए सट्टा बदमाशान हेतु रवाना होकर बड़ा, कोयला, मियाडा से वापस कुंड चौराहे की तरफ आ रहे थे। मियाडा रोड पर नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति सामने से अपने हाथ में पीले रंग का कैरी बैग लिये हुए आता नजर आया जो पुलिस जीप को देखकर पुलिया के तरफ छिपने लगा जिसका आचरण संदिग्ध होने से डिटेन कर नाम पता पूछा तो अपना नाम भैरूलाला किराड निवासी बडा का होना बताया। जिसे इस प्रकार से छिपने व उसके पास कैरी बैग बाबत पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिसकी चैकिंग कार्यवाही किए जाना होने से सी आई साहब ने चैकिंग कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु उसे लिखित में हुकमनामा देकर भेजा। आस पास तलाश किया तो कोई गवाह नहीं मिलने पर उसे व मेघराज से लिखित में गवाह बनने की सहमति प्राप्त कर गवाह मामूद कर भैरूलाल से भी उसकी तलाशी लिये जाने बाबत सहमति ली। भैरूलाल द्वारा तलाशी की सहमति दिये जाने पश्चात सी आई साहब ने भैरूलाल के पास के कैरी बैग को चैक किया तो कैरी बैग में अंदर पॉलिथीन में हरे रंग की पत्ती व कलियां मिली जिन्हें सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया। भैरूलाल ने भी गांजा होना बताया तथा भैरूलाल से अपने कब्जे में गांजा रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। गांजे का वजन किया तो कुल वजन 300 ग्राम हुआ जिसमें से नमूना सेंपल हेतु 50 ग्राम गांजा लिया जाकर एक पॉलिथीन की थैली में रखकर सफेद रंग की कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का ए दिया गया और शेष गांजे को उसी पॉलिथीन व उसी कैरी बैग में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में

रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी दिया। भैरूलाल को गिरफतार किया। नमूना सील को नष्ट किया। फर्द स्वतंत्र गवाह तलबी पत्र प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व सी से डी उसकी रिपोर्ट अंकित है। स्वतंत्र गवाह बनने बाबत सहमति पत्र प्रदर्श पी 1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व जी से एच उसकी सहमति अंकित है। फर्द जब्ती मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी 3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सहमति भैरूलाल प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 4, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 5, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 6 जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफतारी मुल्जिम प्रदर्श पी 7 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 8 जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, जो बाबूलाल एस आई द्वारा बनाया गया था।

20. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 03 जैसे–जैसे कार्यवाही होती जा रही थी वैसे–वैसे लिखते जा रहे थै, तलाशी के बाद नहीं बनाई। प्रदर्श पी 03 के सी से डी भाग के ऊपर ही ऊपर 300 ग्राम गांजा लिखा हुआ है इस बाबत् जवाब श्रीराम बढेसरा ही दे सकते हैं। सील को मौके पर तोडकर मौके पर ही डाल दी थी। पहले फर्द जप्ती बनाई थी उसके बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया था। यह सही है कि जब जब्ती बनाई थी उस समय मुल्जिम गिरफतार नहीं था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 बनाते वक्त जो सील नष्ट की थी वो वहां नहीं मिली। उन्हें संदेह हो गया था कि मुल्जिम के पास कोई अवैध वस्तु जिसमें मादक पदार्थ हो सकता है इसलिए उन्होंने विधि के प्रावधानों का पालन किया। मुल्जिम को 50 एनडीपीएस का नोटिस नही दिया। मौके पर तलाशी से पूर्व उनके पास वायरलैस था। उच्च अधिकारियों को तलाशी से पूर्व संदेह होने की इत्तिला दी या नहीं दी ये सी आई साहब बता सकते हैं। प्रदर्श पी 11 सेपरेट नमूना सील एक ही बनाई थी जो प्रदर्श पी 11 है। थाने पर जाकर जब्तशुदा माल को इंचार्ज थाना से नही करवाकर श्रीराम बढेसरा साहब ने स्वयं ने थाने की सील से पुनः सील किया था। यह सही है कि वह श्री राम बढेसरा का अधीनस्थ कर्मचारी था। मौके के आस पास खेत वगैरह हैं। घटनास्थल आम रोड है, वहां पर उस समय कोई वाहन नही आया। आस पास खेतों में फसल नही थी इसलिए कोई नही मिला। वह 15 मिनट में गवाह तलाश करके आ गया था। उसे पता नही कि जब्ती होने के बाद वायरलैस से उच्चाधिकारी को सूचना दी या नहीं, सी आई साहब ही बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि उसके सामने जब्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई हो और वह पुलिस कर्मचारी होने की वजह से झूठा बयान दे रहा है।

21. गवाह पी0डब्ल्यू–07 बाबूलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2016 को थाना बारां सदर में एस आई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 204/16 धारा 8/20 एनडीपीएस का अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा उसके सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बयान श्री राम बढेसराए आशारानीए विनोद कुमारए मेघराज, यशवीर सिंह, परमजीत सिंह, रामप्रसाद, सियाराम के बयान उनके कहे अनुसार लिए गए। घटनास्थल का नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया जो प्रदर्श पी 8 है जिस पर ई से एफ तीन जगह उसके हस्ताक्षर हैं। नकल रपट रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 12 व 13 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। एफ एस एल नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है, पत्रावली में शामिल है। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम भैरूलाल के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए थानाधिकारी को सुपुर्द की गई।

22. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जो उसने रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 12 व 13 प्रदर्शित करवाई है उनके मिलान के लिए असल रोजनामचा आज न्यायालय में नहीं है। यह सही है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 उसे अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी। यह सही है कि उसने जप्त माल नहीं देखा। यह सही है कि जप्ती अधिकारी द्वारा जप्त माल को गांजा के रूप में जप्त किए जाने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना। जब उसे अनुसंधान पत्रावली प्राप्त हुई तब उसमें धारा 42 व धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के पालन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले थे। यह सही है कि माल आज न्यायालय में नहीं है। सील कैसे टूटी थी, वह नहीं बता सकता। मौके पर नष्ट की गई सील नहीं मिली। यह कहना गलत है कि उसने गलत अनुसंधान कर अभियुक्त को झूठा फंसाया हो।

23. गवाह पी0डब्ल्यू–08 सियाराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2016 को वह पुलिस थाना बारां सदर पर कांस्टेबल के पट पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 204/16 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट के प्रकरण में सील्डशुदा बंद लिफाफा धारा 57 एन डी पी एस एक्ट की सूचना का लिफाफा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को देने के लिए दिया था जिसे मैने प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बारां उसी दिन पहुंचा। जहां पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बंद लिफाफा 57 एन डी पी एस एक्ट का देकर रसीद प्राप्त की। रसीद प्राप्त कर वापस थाने

पर आकर संभलाई थी। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी सूचना प्राप्ति के एस पी साहब के हस्ताक्षर हैं।

24. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि एसपी साहब का क्या नाम था आज उसे याद नहीं है। सीधे श्रीमान एसपी साहब को दिया था। थाने से रवाना हुआ था, आज समय याद नहीं है। अजखुद कहा समय 11. 50 एएम श्रीमान एसपी साहब को दे दिया था। श्रीमान एसपी साहब को सील्ड लिफाफा दिया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 15 भेजने का या सूचना बनाने का समय अंकित नहीं है।

25. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 श्रीराम बढेसरा के द्वारा इस आशय का पेश किया गया है कि सुश्री आशा, विनोद कुमार, मेघराज, यशवीर सिंह के साथ गश्त के दौरान मियाडा रोड नहर पुलिया के पास बारां पर एक व्यक्ति कुण्ड की तरफ से आता हुआ नजर आने, जो पुलिस जाप्ते को देखकर नहर पुलिया की आड में छुपने लगा, जिस पर संदेह होने से घेरा देकर पकडा और नाम पूछा तो उसने अपना नाम भैरूलाल होना बताया। विनोद कुमार कांस्टेबल को लिखित में हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह तलाश करने हेतु भेजा लेकिन कोई गवाह नहीं मिलने पर विनोद कुमार व मेघराज की सहमति लेते हुए गवाह मामूर कर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो हाथ में पीले रंग की कैरी बैग को खोलकर चैक किया तो कैरी बैग के अंदर हरे रंग प्रदार्थ भरा हुए मिला, उसे सुंघा तो उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसका वजन शुद्ध वजन 300 ग्राम हुआ, इस पर शुद्ध गांजा में से 50 ग्राम गांजा नमूना सैंपल निकालकर उसे सील्डबंद, सील्ड मोहर व जप्ती की कार्यवाही करते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर बंद हवालात करने के बाबत् पेश किया गया है जिस संबंध में श्रीराम बढेसरा जप्तीकर्ता न्यायालय में परीक्षित नहीं होते हुए उक्त गवाह के बयान पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं हुए है तथा जाब्ते का गवाह आशा कुंवर सिंह पी. डब्ल्यू–03 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए दिनांक 09.06.2016 को श्रीराम बडेसरा के साथ कस्बा गश्त में रवाना होने के लिए मय जाप्ता रवाना होने व एक व्यक्ति बैग लेकर पुलिया के पीछे छुपने जिसे डिटेन कर नाम पता पूछा तो अपना नाम भैरूलाल बताने, उक्त व्यक्ति के कब्जे से मिला गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर दी गई है उसका खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा

मुल्जिम भैरूलाल के कब्जे से 300 ग्राम शुद्ध गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद होना साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट होता है। इसी प्रकार जप्ती का अन्य गवाह विनोद पी.डब्ल्यू–06 के रूप में परीक्षित होते हुए दिनांक 09.06.2016 को श्री राम बढेसरा के द्वारा उनकी उपस्थिति में मुल्जिम के कब्जे से गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करने जिस बाबत् फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 मुर्तिब करने व स्वतंत्र गवाह बनने बाबत् सहमति पत्र प्रदर्श पी 01, फर्द सहमति भैरूलाल प्रदर्श पी 02, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 04, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 05 फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 06, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 07 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 फर्दात की ताईद करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर उक्त कार्यवाही उसके सामने करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। उक्त गवाह ने जिरह में प्रदर्श पी 03 जैसे–जैसे कार्यवाही होती जा रही थी वैसे–वैसे लिखते जाने व तलाशी के बाद नहीं बनाने, उन्हें संदेह होने कि मुल्जिम के पास कोई अवैध वस्तु जिसमें मादक पदार्थ होने, इसलिए उन्होंने विधि के प्रावधानों का पालन करने तथा उसके सामने जप्ती की कार्यवाही होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इसी प्रकार फर्द जप्ती का अन्य गवाह मेघराज पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम के कब्जे से प्रदर्श पी 03 के माध्यम से उक्त गांजा बरामद करने व फर्द प्रदर्श पी 01, 02, 04, 05, 06, 07 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर उक्त कार्यवाही उसके सामने करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार उक्त गवाहान के द्वारा भी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 व अन्य कार्यवाही की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। जाप्ते के अन्य गवाह यशवीर सिंह पी.डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित होते हुए दिनांक 09.06.2016 को श्रीराम बढेसरा के द्वारा उनकी उपस्थिति में मुल्जिम के कब्जे से गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर उक्त कार्यवाही उसके सामने करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार गवाह आशा कुंवर सिंह, विनोद कुमार, मेघराज व यशवीर सिंह के द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर दी गई है उसका खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा मुल्जिम भैरूलाल के कब्जे से 300 ग्राम शुद्ध गांजा बिना अनुज्ञापत्र के प्रदर्श पी 03 के माध्यम से जप्त किए जाने की पुष्टि उक्त गवाहान के द्वारा अपने–अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार मालखाने का गवाह रामप्रसाद पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए दिनांक 09.06.2016 को थाना सदर बारां में मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात होने, उस

दिन मुकदमा नंबर 204/2016 का सील्ड शुदा माल पैकेट मार्क ए व बी को मय अग्रेषण पत्र के परमजीत कांस्टेबल को श्रीमान् एसपी साहब बारां के माफर्त रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल जयपुर भेजने हेतु सुपुर्द किया जिसने 17.06.2016 को वापसी थाना पर माल एफएसएल जमा की रसीद उसे लाकर पेश करने जिसे असल रसीद संबंधित आईओ को सुपुर्द करने तथा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 09 होने जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 09ए होने, उक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–5 परमजी सिंह के द्वारा दिनांक 16.06.2016 को थाना सदर बारां में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हुए मुकदमा नंबर 204/16 में एक सील्डशुदा पैकेट मार्क ए मय अग्रेषण पत्र के एफएसएल कार्यालय में जमा कराने हेतु सुपुर्द करने, जिसे लेकर एसपी कार्यालय बारां पहुंचने जहां पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर माल जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त कर दिनांक 17.06.2016 को उक्त जमा रसीद प्रदर्श पी 10 मालखाना इंचार्ज को पेश करने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–08 सियाराम के द्वारा दिनांक 10.06.2016 को थाना सदर बारां में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हुए मुकदमा नंबर 204/16 में धारा 57 एनडीपीएस की सूचना श्रीमान एसपी साहब बारां को पहुंचाने और सूचना देकर रिसीव्ड प्राप्त करने तथा सूचना प्राप्ति की रसीद प्रदर्श पी 15 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–07 बाबूलाल जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में पेश हुआ है उक्त गवाह ने अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 मुर्तिब करने, नकल रपट रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 12 व 13 होने व एफएसएल नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 को प्रदर्शित करवाते हुए समग्र अनुसंधान से मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाह आशा कुंवर सिंह, विनोद कुमार, मेघराज व यशवीर सिंह के द्वारा फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है, जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर मुल्जिम की ओर से नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट होता है तथा प्रकरण में जब्तशुदा माल बाबत् एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श–पी 14 पत्रावली पर पेश होना प्रकट होती है तथा इन्वेंट्री माल के संबंध में जो की गई है वह भी पत्रावली पर पेश होना प्रकट होती है इस प्रकार साक्ष्य से प्रदर्श–पी 03 फर्द जब्ती पूर्ण रूप से प्रमाणित होना प्रकट होती है। इस प्रकार जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश हुई है उसका खंडन्न पत्रावली पर मुल्जिम की ओर से किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना प्रकट होता है। जहां तक धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के

तहत उक्त माल जो मुल्जिम के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र के प्रदर्श पी 03 के माध्यम से जप्त किया गया है उस संबंध में उक्त फर्द का खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

26. परिणामतः अभियुक्त **भैरूलाल** पुत्र रंगलाल निवासी बडा थाना बारां सदर जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा **8/20 एनडीपीएस एक्ट** के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं मुल्जिम के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–</u>

27. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिसमें उसे तत्काल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन हो। अतः अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये यदि उसे परीविक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से अभियुक्त का परिवार उसके जेल में रहने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

28. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध गांजा की बरामदगी हुई है। वर्तमान में अवैध नशे का व्यापार बढ़ रहा है ऐसे में यदि अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया गया तो ऐसे मामलों में बढोत्तरी होगी। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर आरोपित अपराध में कारावास से दंडित न किया जाकर अर्थदंड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>दण्डादेश</u> ::–

29. अतः अभियुक्त **भैरूलाल** पुत्र रंगलाल निवासी बडा थाना बारां सदर जिला बारां राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्त को 500/–रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण हेतु नार्कोटिक विभाग को सौंपा जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

30. निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY